



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236568
CG-DL-E-14062022-236568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2587]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944

No. 2587]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2022

का.आ. 2715(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्याक का.आ. 2692 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में-

(क) पैरा 2 में, सारणी में, क्रम संख्याक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी;

क्रम संख्याक	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
"2.	डॉ मंगेश रमेशचंद्र जटकर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, मटेरिया मेडिका विभाग, वीवीएसएम दापोली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज	सदस्य";

(ख) पैरा 4 में, सारणी में, क्रम संख्याक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:-

क्रम संख्याक	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
"2.	डॉ. जे. सेंथिल कुमार विभागाध्यक्ष, रिपोर्टरी विभाग, विनायक मिशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु	सदस्य-होम्योपैथी";

(ग) पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

" 5. पैरा 2 से 4 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।"

[फा. सं. आर-21011/6/2021-ईपी.III]

कविता गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में, संख्याक का.आ. 2692(अ) तारीख 5 जुलाई, 2021 को प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2022

S.O. 2715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Ayush published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2692(E), dated the 5th July, 2021, namely:-

2. In the said notification -

(a) in paragraph 2, in the table, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted;

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
"2.	Dr. Mangesh Rameschandra Jatkar Professor and Head of Department, Department of Materia Medica, VVSM Dapoli Homoeopathic Medical College	Member";

(b) in paragraph 4, in the table, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
"2.	Dr. J. Senthil Kumar Head of Department, Department of Repertory, Vinayaka Mission Homoeopathic Medical College, Tamil Nadu	Member- Homoeopathy";

(c) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“5. The Presidents and the Members referred to in paragraph 2 to 4 shall held office for a term of four years or until further order whichever is earlier with effect from the date of assumption of charge of the post.”

[F. No. R-21011/6/2021-EP.III]

KAVITA GARG, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published vide notification of the Government of India, published in Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 2692(E), dated 5th July, 2021.